

[श्री जगदीश प्रसाद माथुर]

जो क्यूबा का एम्बेसेडर इथोपिया में के० जी० बी० का एजेंट होने के नाते निकाला जाये उसको सरकार ने एम्बेसेडर करके स्वीकार किया। यह दुसरी बात नहीं चल सकती। आप पाकिस्तान और अमेरिका तथा दूसरे एजेंटों को निकालिये किसी को निकालिये लेकिन क्यूबा के जो एम्बेसेडर है श्री जोज पारेस नोवा उनको यहाँ एम्बेसेडर स्वीकार करके सरकार ने बहुत गलती की है और इससे यह देश के० जी० बी० के षड्यंत्र का अड्डा बन रहा है।

**REFERENCE TO THE ALLEGED RECOVERY OF HUMAN SKULLS AND SKELETONS IN THE OFFICE OF TUE CPI(M) IN TRICHUR DISTRICT OF KERALA**

SHRI P. N. SUKUL (Uttar Pradesh): Mr. Deputy Chairman, Sir, I want to draw the attention of this House and of the Union Government to a very grave matter of urgent public importance. It is a sad commentary upon the character and activities of some of our opposition parties, or, at least, it raises a serious doubt about their integrity and utility for the country. A few years back we used to read about the recovery of human skulls and skeletons from the ashrams or offices of the Anand Marg. But yesterday in the Nay Bharat Times and day before yesterday in the Hindustan Times and other papers as well, you might have chanced upon a new item saying that human skulls and skeletons have been recovered by the police from the offices of a particular leftist party, I mean the CPI(M), in Trichur district of Kerala State. We all know and are sorry to know, about the rise in the incidence of political murders.

SHRI K. CHATHUNNI MASTER (Kerala): God alone knows how far it is true.

SHRI P. N. . SUKUL: Did you not read it in the newspapers?

SHRI K. CHATHUNNI MASTER  
Yes, I had read it in the papers.

SHRI P. N. SUKUL: It is in that connection that I am attracting the attention of the House and the Union Government. We all know and we are sorry to know about the rise in the incidence of political murders in States like Kerala and West Bengal and the recovery of these skulls and skeletons is perhaps a burning proof of the total want of faith of certain opposition parties in parliamentary democracy. I shall request the Government not to take chances where our parliamentary democracy, the very basis of our Constitution, is concerned and to take all possible steps to ensure that no party is allowed to play with our culture, our philosophy and our Constitution for political reasons.

**THE SUGAR UNDERTAKINGS (TAKING OVER OF MANAGEMENT) AMENDMENT BILL, 1981**

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I call upon the Minister of Agriculture to move The Sugar Undertakings (Taking over of Management) Amendment Bill, 1981.

But before he moves the Bill, I would like to request the Members that this Bill is to be passed today. We may have to sit a bit longer but the Bill has to be passed today. I now call upon the hon. Minister of Agriculture.

श्री शिव चन्द्र झा (बिहार) : श्रीमान मेरा प्वाइंट ऑफ आर्डर है। अभी आपने स्पेशल भेंशन लिया। आज दो स्पेशल भेंशन लिए गए।

श्री उपसभापति : तीन थे लेकिन एक सज्जन ने कहा था कि कल करेंगे।

श्री शिव चन्द्र झा : प्रोसीजर आपका स्पेशल भेंशन का यह है कि आप चार पांच ले सकते हैं (व्यवधान) आप मेरी

बाद सुन लें। आपने यह नियम बनाया है फिर भी आपने दो लिए। हम लोगों ने दिया था। एक कागज हम लोगों

श्री उपसभापति : आपका पेंडिंग है। आज नहीं हो सकता। (व्यवधान)

श्री शिव चन्द्र झा : और लेकर नहीं लेते हैं। (व्यवधान) मेरा दूसरा स्टैंडिंग ऑफ आर्डर भी जरा सुन लीजिए।

श्री उपसभापति : जब पेंडिंग है तो क्यों जा जो आय . . . (व्यवधान)

श्री शिव चन्द्र झा : आज जिस विषय पर उन्होंने पढ़ा था उस विषय पर मेरा कल था आपने रिजेक्ट कर दिया . . . (व्यवधान)

श्री उपसभापति : उनका तीन दिन से पेंडिंग था। उनको परसों इजजित दी गई थी।

श्री शिव चन्द्र झा : मेरा तो इस पर कॉलेजिग अटेंशन नोटिस है . . . (व्यवधान)

श्री उपसभापति : आप तो सारे विषय पर दे देते हैं।

श्री शिव चन्द्र झा : मेरा रिजेक्ट क्यों किया (व्यवधान) मेरा भी पेंडिंग रखा . . . (व्यवधान) यह गलत बात है। (व्यवधान)

श्री उपसभापति : आप सब विषयों पर दे देते हैं, हम क्या करें। (व्यवधान)

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND RURAL RECONSTRUCTION AND IRRIGATION AND CIVIL SUPPLIES (RAO BIRENDRA SINGH): Sir, I beg to move:

"That the Bill further to amend the Sugar Undertakings (Taking

Over of Management) Act, 1978, be taken into consideration."

This is a very simple Bill. In 1978 Parliament passed an Act for temporary take over of the management of sugar mills which could not pay the arrears of sugar cane-growers or did not start crushing in time or did not continue crushing till the appointed date. This Act has been very beneficial for sugar cane growers. There are 8 factories coming under the management of the Government of India. Their term of 3 years is about to expire but it is felt that unless we continue to manage these factories for at least another 3 years, there is a danger that they might again go sick and the money that the Government of India has invested, may not be recovered from these factories.

I would, therefore, appeal to the hon. Members to pass this simple measure in the interest of sugar cane growers without much discussion.

The question was proposed

SHRI ARVIND GANESH KULKARNI (Maharashtra): Sir, I am here to support the measure which the Minister for Agriculture has brought about.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Kulkarni, just a minute. The hon. Minister for Civil Aviation would like to make a statement regarding Air-India Boeing being hijacked. The statement will be made after the Bill is passed.

[The Vice-Chairman, Shri Bishambhar Nath Fande in the Chair]

SHRI ARVIND GANESH KULKARNI: Sir, I rise to support the Bill. However, I have to submit for the Minister's consideration a few points. Anyway, this is an ad hoc measure which you have brought. I really do not agree to any proposal as a Government of Indian policy; whether it is diluted now—a post-1980 phenomenon—I do not know. But the pre-1980 phenomenon was different. The Congress Party had a firm view that the industrial undertakings which had been taken over by the Government, when

[Shri Arvind Ganesh Kulkarni]

they are nursed back to health, should not be returned to the original owners, Now, why a dilution is made?, You could have said that they will be taken over permanently. In the Statement of Objects and Reasons, you have your self said that money is going to be in vested. If money is going to be in vested, how can you recover it from the private owners? This is because, we know who are owners, not co operatives. These owners are some traders or some industrialists. We have no doubt about the motives of these traders. In this connection I would like to make a submission to the hon. Minister. Very recently, he made a speech in Maharashtra. He visited a co-operative sugar factory complex, wherein, some memoranda were given by the State Co-operative Federation. In this connection, I am told, the problem of co-operative sugar mills was also placed before the hon. Minister. In regard to private sugar mills, I can appreciate. But what is the position in regard to co-operative sugar mills which had been taken over, which might have been taken over either in Bihar or in U.P.? At present, this problem has not spread to the Southern side. But the days are not long. Nobody can guarantee that this will not be so. For this purpose, if a more comprehensive Bill had been brought in, this problem would also have been solved. In this connection, to avoid sickness or for taking over the sugar undertakings, the hon. Minister has to look into the entire gamut of the sugar policy. I would again submit to the hon. Minister. I have suggested to him during the last one year, on various occasions, through various questions, observations and so on, that the time has come when the sugar problem has become bitter, is becoming bitter and bitter instead of becoming sweeter. The position is scandalous. Because of the influx of politicians in the field of sugar co-operatives. I have drawn the attention of the hon. Minister to this problem many times. I also wrote to

him in this connection. Now, publicly in this House, I would like to draw the attention of the hon. Minister to this. Now, Sir, the co-operative sector is expected to serve the social purpose. The social purpose is the up-liftment of the rural areas and the farmers. That is why, I mentioned about his visit, recently, to a co-operative sugar complex. Sir, Padmashri V. K. Patil was the doyen of co-operative enterprises, particularly, in regard to sugar mills. He was a colleague of the late Dr. D. R. Gadgil. I know how Mr. V. K. Patil was living. His beliefs and his ideals were just like that of Gandhiji. Sir, you will be surprised to know this. Of course, very rarely, he went outside. But whenever he went outside, whenever he was on camp either in Delhi or in Bombay, he used to bring in his bag or in his packet, home-ground jowar, and he used to ask somebody to prepare bread out of it. He also used to carry his own rice and he used to ask the lady of the house, wherever he stayed, to make food out of it. He used to do like that. He was a great person. But those days are gone. Now, you have the new generation. You have heard about the quality of this new generation. In particular, I would like to draw the attention of the hon. Minister to the influx of politicians in the field of sugar cooperatives. I mentioned this to him last time also. What is the position in Maharashtra? Take the case of Pra-vara sugar factory itself. Its quota of sugar for manufacture of Alcohol was 13 lakh tonnes. This was increased to 22 lakh tonnes. One lakh litre of Alcohol was used to produce sugar, wherein on-money is taken and 45 barrels are placed in one truck, thereby one lakh litre of alcohol turned into liquor produces money up to Rs. 8 to 9 lakhs. The quota is Rs. 22 lakhs. This is the on-money. I am not going to blame the existing chairman or the previous chairman. I am not going to blame anybody. But in the cooperatives this politics has come in and the politics of manufacturing liquor is inviting black money and on-money.

Therefore, I have got a positive suggestion to make. The cooperators are asking for three zones in Maharashtra. The consumers are asking that the sugar should be cheap. I would only request you keep this out of the purview of this cooperative sugar factory, liquor is not really a business which is concerned with the cooperative activity. Liquor is a side industry, or what you call, an ancillary industry, whether it is in the co-operative or the private sector. So, will the Government stop these immoral acts, whether of the cooperators or of the private sector? This is because I believe in certain values of cooperators. I have written letters to you on that. Whether it is NAFED or NCCF or whatever it is, I would again request you, Mr. Minister, to see that the danger is not only imminent, but it is going to eat away the entire cooperative movement. The day is not far off when the people will demand nationalisation of the entire cooperative sector as they are doing in the case of the Tatas and the Birlas. A sycophancy is being created that the cooperative sugar factory is having 22 lakh litres of liquor and collecting a crore of rupees as on-money on the liquor. So, for that purpose we are paying this price of Rs. five or six or whatever you may say. In this season bumper harvest is expected. The same sugar can be sold at Rs. 3 or 350 provided the "liquor profits are drawn back to the balance sheet of the cooperative sugar factories. Find out any way, I am not suggesting the take, over. You sit with your 'officials and find out the way, how these profits can be ploughed back. A cooperator is not expected to indulge in these nefarious activities, anti-social activities and defraud the Government. You have given the equity to the cooperative sugar factories. The Central Government and the State Governments have given guarantees for the loans and we are the representatives

of the farmers who are elected as directors. Here I would only like to draw your attention to an article which I read in the 'Economic Times'

recently. It is a very nice article. It is said: politicalisation has really done damage to the cooperative sector. That is why, whether three zones are set up in Maharashtra or not, it is not going to help. This is because the demand from that organisation was to de-control and the Government should take it over, but I would request you, Mr. Minister, to consider that this is not the time for taking over. The cooperative have to face the music for themselves and they have to bring back the on-money which they are accepting. The last point which I want to make is that at least in this season buffer stock has to be created. You may kindly say something on this because we expect a bumper crop and if you want sugar to be cheap, the liquor on-money has to come on the balance sheet and buffer stock has to be built up.

With these words I support your Bill, but instead of six years, made it permanent.

श्री नरसिंह नारायण पाण्डेय (उत्तर प्रदेश) : श्रीमन्, मैं इस बिल का पूर्णरूपेण समर्थन करता हूँ। यह देखने पर कि तीन साल की जगह पर छह साल रखा गया है, मैं तो इस विचार का हूँ और, श्रीमन्, आप जानते हैं कि मैं पुराना इस विचार का हूँ कि जो चीनी मिल खण हो गई हैं और चीनी मिल के मालिकानाना प्रकार से सरकार के सामने विघ्न और बाधाएं उपस्थित करते हैं, जिसकी वजह है कि सरकार न तो गन्ने का भाव किसानों की लागत के मुताबिक तय कर पाती है और न तो सही तरीके से हमारे उपभोक्ताओं को ही चीनी सस्ते दाम पर मिल पाती है। और न हम चीनी का कोई भण्डार ही बना सकते हैं जिससे कि हम फारेन एक्सचेंज अनं कर सकें और अपने देश की मुद्रा स्फीति पर काबू पा सकें और अपने रिजर्व को मजबूत कर सकें। श्रीमन्, यह एक बड़ा ही विशेष सफल हो गया है,

[श्री नरसिंह नारायण पाण्डेय]

इस विषयस सर्विल को तोड़ने के लिए मैं इस विचार का बहुत पहले से हूँ, जो आज भी मेरी पार्टी के विचार हैं, कि ऐसी चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण कर लेना चाहिये। मैं इस विचार को आज माननीय मंत्री जी के सामने रखना चाहता हूँ। यदि आप चाहते हैं कि 3 साल से 6 साल कर दें, तो यह समस्या तय नहीं होगी। श्रीमन्, आज आप देखें कि गन्ने का दाम तय हुआ और गन्ने का जो दाम तय हुआ वह एक मिनिमम प्राइस तय हुआ, सरकार उसका सपोर्ट प्राइस तय करती है और प्रदेश की सरकारें विभिन्न प्रकार के जो हमारे संगठन हैं, गन्ना किसानों के संगठन हैं या मिलों के एसोसिएशन हैं, शूगर मिल एसोसिएशन हैं, उनसे बातचीत करके गन्ने का भाव तय करती है। श्रीमन्, पिछले साल उत्तर प्रदेश और बिहार की सरकारों ने गन्ने का भाव क्या तय किया और चीनी का भाव आपने क्या तय किया? श्रीमन्, अगर आप देखेंगे तो बिजली का दाम बढ़ गया खाद के दाम बढ़ गए, हर चीजों के दाम बढ़ गये लेकिन गन्ना किसान को जो गन्ने का काम मिल रहा है वह वहाँ का वहीं रह जा रहा है। लेकिन चीनी मिल के मालिकान के दबाव में आकर, अगर मैं कहूँ तो मेरे लिए धृष्टता होगी, लेकिन क्या कोई भी प्रिंसिपल बनाकर आज चीनी का दाम तय किया जा रहा है? क्या आज टैरिफ शूगर का प्राइस तय किया जा रहा है? क्या आज किसान को लागत को देखते हुये चीनी के दाम को, टैरिफ मूल्य को तय किया जा रहा है। श्रीमन्, हमेशा देखिए कि आज गन्ना की पिराई शुरू होती है तो चीनी मालिकान के सामने सरकार एक वक्तव्य निकाल देती है और कहती है कि आपने अगर फलों तारीख से चीनी मिलें चलाना

शुरू किया तो हम ये सहूलियतें देने जा रहे हैं। लेकिन गन्ना किसान को, जो गन्ना पैदा करता है, उसको क्या सहूलियत आप देने जा रहे हैं? आपने क्या फार्मूला बनाया है? श्रीमन्, अगर मैं कहने लगूँ तो दिन बीत जायेंगे— लिक्विड फार्मूला, प्राफिट शेयरिंग फार्मूला, जितने फार्मूला किसानों के लिए बने, आज वाकई माननीय मंत्री जी, जो किसान हैं, क्या वह कह सकते हैं एक भी फार्मूला है जिसके मुताबिक गन्ने का प्राफिट मोटिव शेयर किया गया। मालिकान उसके बाद भी गन्ना किसानों को गन्ने का दाम गेट पर नहीं देते जो कि आपका नियम है कि 14 दिन के अन्दर पेमेंट हो जाना चाहिये, उसमें भी गन्ना किसान को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, आज वह नाना प्रकार से पैसा ले रहे हैं गवर्नमेंट पर दबाव डाल कर पैसा ले रहे हैं और वह इसके लिए कहते हैं कि हमारी चीनी मिलें रुग्ण पड़ी हुई हैं, हम किसी तरह से मिल को चला नहीं सकते जब तक बैंक हमको कर्जा नहीं देगा। और वह पैसा क्या उन चीनी मिलों में लगाया जाता है? यह सारे का सारा पैसा दूसरे व्यवसाय खोलने में लगाया जाता है, चीनी मिलों में आज नहीं लगाया जाता। अगर उत्तर प्रदेश में कोई चीनी मालिकान का कारखाना है तो वह टैक्स दे रहा है बम्बई में जाकर जहाँ उसका हर्ड आफिस खुला हुआ है। यह तो आज सारी स्थिति है और जब हमको देश में चीनी का इम्पोर्ट करना पड़े तो देश चीनी के मामले में आत्म-निर्भर कैसे हो सकता है, खाण्डसारी के मामले में कैसे आत्म-निर्भर हो सकता है, गुड के मामले में कैसे आत्म-निर्भर हो सकता है? यदि हमारी कोई एक समन्वित नीति हो तो आज

सरकार को चीनी के मामले में फारेन एक्सचेंज स्पेंड करने की जरूरत नहीं पड़ती। श्रीमन्, आज हमने कोई अपना भण्डारण नहीं बनाया, कोई अपना स्टॉक नहीं बनाया। आज उपभोक्ता अलग चिल्ला रहे हैं कि 7 रुपए किलो चीनी मिल रही है। अभी हमने स्टेटमेंट देखा इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन का कोई उनका मेम्बर एसोसिएशन है, सारे देश का एसोसिएशन है। हर आदमी घाटा चिल्लाता है। अभी कुलकर्णी जी ने भी कहा, उन को बड़ा तजुर्बा है, कोआपरेटिव शुगर फक्टरी चलाते हैं, डायरेक्टर भी हैं। मैं उन के यहां गया हूं, मैंने देखा है कि किस तरह से वह चलाते हैं। मैं उन के यहां के काम की प्रशंसा करता हूं, कोआपरेटिव में जिस ढंग से वहां काम हो रहा है, उसकी प्रशंसा करता हूं। लेकिन मोलासेज किस ढंग से जाते हैं, कितना ब्लैंक होता है, कभी भी किसी भी बैलेंस-शीट में नहीं दिया जाता। उस का कोई लाभ न मजदूर को मिलता है, न किसान को मिलता है, न उपभोक्ता को मिलता है। यह सब चीजे ऐसी हैं कि जब तक आप समन्वित नीति नहीं बनायेंगे, जब तक जो दृष्टि चीनी मिलें हैं उन को जोइन्ट स्टॉक कंपनी में टेक-ओवर नहीं करेंगे तब तक हम सही तरीके से काम नहीं कर पायेंगे और देश के प्रति जो हमारी जिम्मेदारी है उस को पूरा नहीं कर पायेंगे। सरकार के सामने परिस्थितियां हो सकती हैं, मैं उस से इनकार नहीं करता, उन परिस्थितियों में सरकार को कार्य करना पड़ता है। आज सारे देश में जो चीनी मिलें हैं उन में से जो घाटे में चलती हैं उन को ले लेना चाहिए और उस के इन्तजाम के लिए एक ऐसा पूल बनाना चाहिए—आई सी एस और

पी सी एस अफसरों के हाथ में नहीं छोड़ना चाहिए—एक ऐसा आर्गनाइजेशन होना चाहिए जो टेक्नीकल आर्गनाइजेशन हो, जिस के अधिकारी मिलों को चलाना जानते हों, मिल को ठीक करना जानते हों, मिलों के कल-पुर्जों को जानते हों और कारखानों को चलाने की एक्सपर्टाईज रखते हों। उन अफसरों का संगठन बनाना चाहिए और उन के जिम्मे चीनी मिलों को देना चाहिए, नहीं तो आप देखते हैं कि कितनी मिलें घाटे में चल रही हैं, उत्तर प्रदेश में कई कोआपरेटिव मिल एक करोड़ रुपए के घाटे में चल रही हैं। और भी कितनी फैक्ट्रीज हैं, उन के बैलेंस-शीट देखिये। जांच कराइये तो पता लगेगा कि एक मोटर पुरानी है तो उस की जगह चार मोटर खरीद ली जाती हैं। कोई भी सरकारी धन को खर्च करने में गुरेज नहीं करता। हमारे अधिकारियों के एंशो-आराम में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अन-काल्ड-फार एक्सपेंडीचर करने में किसी को जरा रहम नहीं आता, यह नहीं समझते कि यह गरीब देश का पैसा है। इस का सही तरीके से इस्तेमाल होना चाहिए और हमें प्रोडक्शन के साधनों को मजबूत करना चाहिए।

श्रीमन्, मैं इसी लिए खड़ा हुआ हूं कि मैं माननीय मंत्री जी से चाहता हूं कि 6 साल की जगह अच्छा होता यह परमानेंटली फैक्ट्रीज को लेने की बात करते और देने की बात न करते। जिन फैक्ट्रियों को ले लिया जाय उन को वापस करने के बारे में सरकार की कोई बीयत नहीं होनी चाहिए। हमें घोषणा करनी चाहिए कि हम जिन फैक्ट्रियों को ले रहे हैं, जिन का रख-रखाव कर रहे हैं, जिन को दुस्त कर रहे हैं उन को अपने मैनेजमेंट में रखेंगे।

[श्री नरसिंह नारायण पाण्डेय]

श्रीमान्, इसी के साथ-साथ मैं कहना चाहता हूँ कि यह देश चीनी के मामले में आत्मनिर्भर नहीं हो सकता जब तक कि कांस्टीट्यूशन की कानकरीट लिस्ट को अमेंड कर के केन डेवलपमेंट के कार्य को भारत सरकार अपने हाथ में नहीं लेती। भारत सरकार को उसे अपने हाथ में लेना चाहिए क्योंकि प्रदेश सरकारों में आज कोई केन डेवलपमेंट एक्टिविटी नहीं रह गयी है, न कोई खाद देता है, न सुधरे हुए बीज देता है किसान को। अगर किसान खुद बैकों के पास न जाय, कोऑपरेटिव के पास न जाय तो उस को कोई मदद नहीं मिलती। अगर आप चाहते हैं कि सही तरीके से कितना गूड़ पैदा किया जाय, कितनी खंडसारी पैदा की जाय, कितने एरिया के अन्दर खंडसारी की मिल लगनी चाहिए और कितना क्षेत्र छोड़ देना चाहिए जिस से मिलों को पर्याप्त गन्ना प्राप्त होता रहे तो आप को समन्वित नीति बनानी चाहिए। केन डेवलपमेंट के कार्य को, केन के अनुसंधान के कार्य को गवर्नमेंट आफ इंडिया को खुद लेना चाहिए, प्रवेश के ऊपर छोड़ देने से काम नहीं चलता। सारा प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, सम्मरण और फारेन एक्सचेंज अर्न करने के लिए एक्सपोर्ट—यह सारे के सारे काम गवर्नमेंट आफ इंडिया को अगर जरूरत पड़े तो विधान में तब्दीली कर के या अलग से बिल ला कर के इस मामले को हमेशा हमेशा के लिए तय करना चाहिए जिस से हम देश की आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ साथ किसानों को सही दाम दिला सकें। अपने भंडारण को पूरा कर सकें ताकि भविष्य में जब कभी जरूरत हो सस्ते दाम पर कंज्यूमर को आप चीनी दे सकें और बाहर चीनी

भेज सकें। जैसे आपके कंट्रीज ने अपना एक समूह बना लिया है उसी तरह से हम चीनी बेचने वाले देशों का समूह बना कर इंटरनेशनल मार्केट में फारेन एक्सचेंज अर्न कर सकें इस ओर हम को प्रयत्न करना चाहिए। अभी हम सही तरीके से इस क्षेत्र में अपने को आत्म-निर्भर बना सकेंगे। इन शब्दों के साथ आप ने जो मुझे इस प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया उस के लिए आप का आभारी हूँ।

श्री शिव चन्द्र झा : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन इस लिए करता हूँ कि समर्थन इज बेटर देन नर्थिंग। गाड़ी खड़ी रहे स्टेशन पर इस से तो अच्छा है कि वह थोड़ी थोड़ी खिसकती रहे। कुछ चलती तो रहे और इती लिए अगर सरकार सारी मिलों को नहीं ले रही है, केवल आठ मिलों को ही ले रही है कुछ खास कारणों से, तो चलो, कुछ शुरुआत तो है। इस तरह से ट्रायल एंड एरर से ही रास्ता साफ होगा और यही बात बैंक राष्ट्रीयकरण के वक्त भी हुई थी और हम लोगों ने उस को सपोर्ट किया था।

लेकिन इस विधेयक से एक बात साफ हो जाती है कि सरकार कितनी इंकॉर्पेटेड है। सरकार कितनी निकम्मी है। अपने हाथ में वह जो भी उद्योग लेती है और उस में निशाना बनाती है कि तीन साल में हम उस को ठीक कर देंगे उस काम को वह तीन साल में पूरा नहीं कर पाती। बाद में कहती है कि हम को उस के लिए 6 साल चाहिए। व्हाट इज दिस? आप के साथ सारी पलटन है। सारा खजाना आप के साथ है, सारा नौ-हाऊ आप के साथ है। तीन साल में देश की ऐसी कौन सी पब्लिक अंडरटेकिंग

हैं कि जिन को आप ठीक नहीं कर सकते। जो मिलें आप ने ली है क्या आप उन को माडर्नाइज नहीं कर सके? या उन किसानों के जो एरियर हैं उन को आप चुका नहीं सके? या मजदूरों के जो मनेजमेंट में रिलेशन की बात है उस झमेले को आप निपटा नहीं सके? कौनसा कारण है कि जिस की वजह से आप तीन साल में इस समस्या को हल नहीं कर सके और उस के लिये आप को फिर 6 साल और चाहिये। क्या गारंटी है कि 6 साल में उस को आप ठीक कर लेंगे? तो स्पष्ट है कि यह सरकार का निकम्मापन है। सरकार का इंकॉर्पोरेट बिलकुल साफ है। सरकार उन को ले लेती है लेकिन मनेजमेंट का जो दर्शन है वह उस के सामने साफ नहीं है। लेकिन देश में जनता की आवाज है इस लिये आप उन को ले लेते हैं। लेकिन उन को चलायेंगे कैसे, इस बात को आप ब्योरोक्रेसी पर और अपनी अफसरशाही पर छोड़ देंगे उन को वे पुराने तरीके से चलाते हैं और नतीजा यह होता है कि जैसे दूसरी पब्लिक अंडरटेकिंग हैं उसी रूप में वे भी ढल जाते हैं। तो आप साफ करें कि कौन कौन से काम आप नहीं कर सके जिस की वजह से आज आप को और अधिक समय लेना पड़ा। अच्छा तो यह होगा कि यह आठ ही नहीं, जितनी भी शूगर मिल्स हैं उन सब को आप ले लें। मैं जानता हूँ कि 8 तो आप सम्हाल नहीं सके और ज्यादा ले कर क्या करेंगे यही आप का जवाब होगा और इससे आप का दीवालियापन साफ नजर आता है। लेकिन इस से एक दर्शन की सफाई होगी उस में आप की चीनी नीति साफ झलकेगी। चीनी के मुताल्लिक आप देश को किस लाइन पर चलाना चाहते हैं, कौन से नियम और कौन से रास्ते आप अख्तियार

करना चाहते हैं यह देश को मालूम हो जायेगा। इस लिये यदि आप उन को नहीं चला सकेंगे तो भी आपका दर्शन साफ हो जायगा। इस लिये मैं चाहता हूँ कि सब को आप ले लीजिये। चूंकि सरकार सब को नहीं ले रही है, केवल आठ को ही ले रही है और उसी में भूल-भूलैया कर रही है इस लिये सरकार की नीति भी साफ नहीं होती।

उपसभाध्यक्ष महोदय, चीनी मिल हो, चाहे कपड़ा मिल हो, चाहे जूट मिल हो, यह कहानी बार-बार ये कहेंगे कि इतना इसके मालिकों ने दुहा कि वह मिलें जर्जर हो गई हैं, जिक्र हो गई हैं। नतीजा यह है कि सरकार एक गऊशाला है। जैसे गाय को गऊशाला में दे देते हैं, वैसे ही जो मिलें जर्जर हो गई हैं, मालिकों ने खूब दुहा, जैसे गाय को दुहते हैं और उस की चारा नहीं दें तो वह दुध देना बन्द कर देती है, उसी तरह से मिलों को दुहा लेकिन चारा नहीं दिया, मतलब उनको माडर्नाइज नहीं किया। जो मुनाफा हुआ उसको दूसरे रूप में इस्तेमाल किया। उस पर ध्यान नहीं दिया। आखिर में वह मिलें सिक हो गई और सरकार के हवाले कर दी गई। इसलिये आपके इस हालात की वजह से आप उनको ले रहे हैं। तो क्या आप ने एक नीति की बात अभी तक तय की? आपने कहा कि गन्ना उत्पादकों के एरियर्स बाकी हैं, अभी उस का भी हिसाब दे दिया। आप खुद कहते हैं कि लेबर रिलेशन्स ठीक नहीं किये, और भी झमेले होंगे। तो जो एरियर्स दे दिया गया है और जगह नहीं दिया गया बिहार में भी नहीं दिया गया है। इसकी सफाई दें।

श्रीमन्, चीनी मिलों के बारे में कोऑपरेटिव की बात इन्होंने उठाई।



[श्री नरसिंह नारायण पाण्डेय]

कोआपरेटिव छोटा माइल-स्टोन है। यह बड़ा अच्छा कदम है। हम उसको भी पसन्द करते हैं। लेकिन ऐसा न हो कि कोआपरेटिव जो है। वह बड़े बड़े मगरमच्छों के हाथ में आ जाए। अभी के सेंट-ग्राप में कोआपरेटिव मगरमच्छों के हाथों में आ जाते हैं। लेकिन इनको ऐसे रूप में करें कि जैसे पंचायतों में हम देखते हैं। पंचायत की ग्रास हट कहते हैं डैमो-फ्रेसी का, लेकिन उसको घुमाने वाले लोग कौन हैं? अपर-कास्ट वाले, धन वाले पैसे वाले, माटी वाले वे पंचायत को घुमाते हैं जिनका चक्का चलता है उन्हीं के हाथ में वे हैं। बड़े-बड़े कोआपरेटिव भी उनके हाथ में न आ जायें इसका डर रहता है। एक कोआपरेटिव मैंने देखा। मुझे बहुत अच्छा लगा। हो सकता है ऐसा शूगरकेन में भी हो। वह आनन्द में अमूल का है मेरा विचार ही उसको देखकर बदल गया। सारा डा० कुरियन ने हमको दिखाया और सारा इतिहास बताया कि सरदार पटेल ने इसे किया। किसानों से कैसे दूध आता है उन्होंने बताया। जैसे कोयला आता है वैसे ही रेल बैगन में दूध आता है और सारा नक्शा उन्होंने दिखाया। मैं गदगद हो गया। मैंने कहा कि बिहार में आप क्यों नहीं खोलते हैं। उन्होंने बताया कि बिहार वाले इसको नहीं कर सकते हैं। जैसा अमूल का है, वैसा कोआपरेटिव कहीं ही नहीं है।

श्री अरविन्द गणेश कुलकर्णी : बिहार में क्यों नहीं होता है। वहाँ पर जगन्नाथ मिश्रा का मुकद्मा चलते हैं... (व्यवधान)

श्री शिव चन्द्र झा : मुकद्दमे से क्या होगा ? ... (व्यवधान)

तो श्रीमन्, अमूल जैसा कोआपरेटिव सरदार पटेल का चलाया हुआ ऐसा नहीं

है तो बहुत ठीक है। नहीं है तो मैं मानता हूँ कि इसके पैटर्न पर मैनेजमेंट को आप लें। जो आप अंडरटेकिंग लेते हैं उसके मैनेजमेंट को आप अमूल के मैनेजमेंट के रूप में लें। सब को आप अपने में ले आयें। मैनेजमेंट में एक प्रकार का ब्रेक-थ्रू जिसको कहते हैं वह करें। आनन्द में देखा कि उत्पादकों का बहुत उसमें हिस्सा है। वह बहुत कुछ संचालन करते हैं। दूध डेलिवर करने से लेकर और भी काम करते हैं। इस तरह आप लें तो वह कोआपरेटिव मोनिगफुल मालूम होता है बनिस्वत इसके कि जो भी कोआपरेटिव आप बनाते हैं उसमें बड़े-बड़े मगरमच्छ आ जाते हैं जो उनका इस्तेमाल करते हैं। दूसरी शूगर मिल चीनी मिल की बात है। इसका वाई-प्रोडक्ट्स का अच्छा इस्तेमाल हो सकता है कागज बनाने में और दूसरी चीजें बनाने में। क्या आप ऐसा करते हैं? जो अंडरटेकिंग आपने लिये हैं उसके वाई-प्रोडक्ट्स का छिलका जो आप फेंकते हैं, बेस्ट करते हैं, उसका इस्तेमाल आप कागज या दूसरी चीजों में इस्तेमाल कर सकते हैं। आज बहुत से पेपर मिल ठप्प हैं, उसके लिये आपको रा-मैटीरियल नहीं मिलता। मेरा निवेदन है कि जो मिल अंडरटेकिंग लेते हैं उनके संचालन के लिये आपकी कोई नीति होनी चाहिये। शूगर उद्योग, चीनी उद्योग, के मुतस्लिम आपकी नीति साफ होनी चाहिये। नीति साफ का मतलब है जैसा मैंने कहा शूगर मिल जितनी है उन का नेशन-लाइजेशन हो।

अखिरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ चीनी के एक्सपोर्ट पर आप बैन हटा दें। आप कहते हैं 52-55 लाख टन के करीब चीनी का उत्पादन हुआ। आप पीठ बपबपाते हैं कि कमास कर रहे हैं।

आज भी राशन में चीनी का भाव 3-65 रुपये के करीब है और बाजार में 6-50 रुपये के करीब बिक रही है। डिस्पैरिटी क्यों है ? इसको भी आप हटायें। आप अपना स्टॉक इतना रखें कि जो बाजार में भाव है वह नीचे आ जाये और राशन की चीनी का भाव भी कम हो रहे। यह पांच रुपये के आस पास बैठ सकता है। दोनों के भाव में दो रुपये से ज्यादा का अन्तर नहीं रहना चाहिये। आप स्टॉक रख लें तो इतनी डिस्पैरिटी नहीं रहेगी और आम उपभोक्ताओं को कुछ फायदा होगा तब आप एक्सपोर्ट करने की बात सोच सकते हैं। दूसरे, मैं आपसे यह पूछना चाहता हूँ कि हर साल आपको इससे कितना फारेन एक्सचेंज मिलता है इसका हिसाब भी हमें दे दें। इन सब बातों को मद्देनजर रखकर, अच्छा यह होता कि आप एक कम्पारिहेंसिव बिल लाते, सारी अगुगर मिलों को अपने कंट्रोल में लाने के लिये, नेशनलाइज करने के लिये। तब यहां का समां देखते कि कितना समर्थन आप को यहां से मिलता और क्या रूप होता। लेकिन अभी जिस रूप में आप लाए हैं, समर्थन इज बेटर देन नथिंग, इसलिए मैं समर्थन करता हूँ लेकिन इन बातों को आप जरा साफ कर दें।

श्री सुन्दर सिंह भंडारी (उत्तर प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष महोदय, यह जो टेम्पोरेरी टेक-ओवर को एक्स्टेंड करने का बिल लाया गया है, अच्छा होता अगर इस एक्सटेंशन के समय तीन साल के बारे में आप का अनुभव क्या रहा है इसकी भी एक रिपोर्ट मिलती। जो स्टेटमेंट है उसमें केवल 14.14 करोड़ रुपये रखा गया है, इन आठ मिलों के ऊपर। अच्छा होता इस मिलों का एक इंडिविजुअल स्टेटमेंट मिलता कि इन आठ मिलों की कब-कब लिखा गया और किस-किस में कितना-कितना इन्वेस्टमेंट किया। क्योंकि मेन इश्यू एरियर की रिपेमेंट का है

तो कितना एरियर रिपेमेंट किया गया, वह भी आप बता दें। इस साल का कर्षण इन्होंने शुरू कर दिया है या नहीं किया इसकी जानकारी भी हमको दें। अगर इन सब चीजों की जानकारी साथ में रख देते तो ज्यादा अच्छा रहता। इसके बाद तीन साल और इनकी टेम्पोरेरी टेक-ओवर में रखा जाए इसके लिए आप कहते तो आप के लिए एक केस बनता। जब यह बिल बनाया गया था तो यह मंशा थी कि तीन साल के बाद यह नतीजा निकाला जाएगा कि अब कौन-कौन सी ऐसी सिक मिले हैं जिनको टेक-ओवर किया जाये या जो चलने की स्थिति में नहीं हैं या जिनको चलाया नहीं जा सकता है, इनके ऊपर इन्वेस्टमेंट करने से कोई फायदा नहीं होगा या फिर जिनके बारे में यह निश्चय किया गया कि इन पर सरकार ने बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर दिया है। ऐसी स्थिति में टेम्पोरेरी टेक-ओवर की स्थिति में रखने के बजाय उनको कम्प्लीटली सरकारीकरण की दिशा में ले जाने की बात होनी चाहिए थी। यह टेम्पोरेरी पोरियड तीन साल से छः साल बढ़ाया जा रहा है। इसका कोई संतोषजनक कारण समझ में नहीं आया है। मैं चाहता हूँ कि मंत्री जो बिल के संबंध में जबाब देते समय इस संबंध में स्पष्टीकरण देने की कृपा करें।

शुरू में जब उन्होंने यह मोगम्बरा रखा तो यह कहा कि इन मिलों पर लगाने के लिए 11 करोड़ रुपये और चाहिए। एक डाइरेक्टर होगा और एक कस्टोडियन भी होगा और उसके लिए आफिस भी बनाना होगा। आप ये बातें परमानेंट आधार पर बनाने की बात कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इन सारी चीजों की जरूरत को जस्टिफाई करने के लिए उनको अपने टेम्पोरेरी काल को और इन तीन सालों के वर्किंग के बारे में सदन को अधिक विश्वास में लेना चाहिए।

[श्री सुन्दर सिंह भंडारी]

मैं जानना चाहता हूँ कि जो आठ मिलें आप ने ली हैं और वे जिस क्राइटेरिया पर ली हैं, चाहे उन्होंने एरियर न दिया हो या जो क्रशिंग पूरे समय में नहीं किया हो, क्या इसी तरह की मिलें कोई और भी हैं ? सामान्य रूप से जो इस समय पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा बिहार की मिलें हैं, उन्होंने सन् 1979-80 में, यू० पी० की मिलों ने 111 दिन ही क्रश किया है और बिहार की मिलों ने 89 दिन ही क्रश किया है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनका क्रशिंग सीजन कितना छोटा है। इसके अलावा सारे इस्टेब्लिशमेंट की कॉस्ट और अन्य खर्चों से चीनी का भाव बढ़ रहा है। इसकी मार काश्तकारों पर पड़ेगी। आप जानते हैं कि जो किसान गन्ने की खेती करते हैं उनके इनपुट्स की कीमत पिछले साल में काफी बढ़ी है। लेकिन सरकार ने मिनिमम प्राइसेज कमीशन की रिकमेंडेशन के बावजूद गन्ने की कीमत बढ़ाने से इंकार कर दिया। प्राइसेज कमीशन ने 15 रु० 50 पैसे की रिकमेंडेशन की थी, लेकिन सरकार ने उसको टर्न-डाउन कर दिया। पिछले साल भी अलग अलग राज्यों ने 20 रु० और साढ़े 21 रु० तक गन्ने के लिए किसानों को दिये। इस साल भी उनके सुझाव 27 रु० तक के आए थे। अब हम कितना अनरिगुलैस्टकली केन-ओवर के बारे में विचार करते हैं यह इस बात से सिद्ध हो जाता है कि किसानों को गन्ने का उचित भाव नहीं मिलता है। यह कहा जाता है कि अगर गन्ने के दाम बढ़ाये गये तो चीनी के दाम भी बढ़ जाएंगे। इस बढ़ोतरी का मुख्य कारण यह है कि हमारी मिलों की केपेसिटी युटिलाइजेशन बहुत पुअर है। इस केपेसिटी युटिलाइजेशन को बढ़ाने के लिए हमको बहुत गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिए।

मैं यहां पर इस बात का भी उल्लेख करना चाहता हूँ कि ईस्टर्न यू० पी० में केपेसिटी युटिलाइजेशन केवल 42.34 परसेंट है। ये सन् 1979-80 के आंकड़े हैं। लेकिन बिहार के आंकड़े तो और भी कम हैं। बिहार का केपेसिटी युटिलाइजेशन 33.85 परसेंट है जोकि बहुत ही पुअर है। मिलें 110 दिन या 90 दिन काम करती हैं। तो इन सारी इन-एफिशियेंसी का बोझ शूगर प्राइस, कास्ट पर पड़ रहा है और सारी सजा हिन्दुस्तान के किसान पर या गन्ना उत्पादकों पर पड़ रही है। मेरी जानकारी के अनुसार इस बार भी बहुत सी मिलों में अभी तक क्रशिंग शुरू नहीं हुआ है और इसका नतीजा यह है कि वह किसान जो गन्ना उखाड़ कर गेहूं बोना चाहता था, उस जमीन में, हजारों बीघा जमीन में, वह किसान गेहूं बोने से वंचित हो गया है। तो कहीं न कहीं इन चीजों का टाइमिंग आप को बिठाना चाहिए। इसलिए मैं इस बात पर जोर देता हूँ कि जो टेक-ओवर मिल सरकार ने की है या जो सरकारी क्षेत्र में शूगर मिलें चल रही हैं, उनके क्रशिंग का पीरियड शुरू हुआ या नहीं, यह देखें। उनमें कितनों ने शुरू कर दिया या नहीं किया है और इस बारे में मिनिस्ट्री ने उनसे किसी तरह का एक्सप्लेनेशन काल-अपन किया है या नहीं। अभी भी किसान खेत खाली करवा कर गेहूं की लेट बीरायटी बोने की स्थिति में है या वह इससे वंचित रह जाएगा अगर क्रशिंग का पीरियड जल्दी शुरू नहीं करवाया मिलों के द्वारा।

अभी तक यह दावा किया जाता रहा है कि 70 लाख टन से कम चीनी का उत्पादन नहीं होगा। कल एक अन-स्टार्डबैक्शन के उत्तर में जवाब दिया गया है और उसमें 65 से 67 लाख टन पर सरकार नीचे उतर आई है।

मैं समझता हूँ कि इसका मूल कारण कृषिग सीजन की देरी से शुरूआत है। साथ ही एरियर्स का मामला अभी भी लटका हुआ है और इन मिलों को फिर से चालू होने की इजाजत दे दी गई है, पुराने एरियर्स दिये बिना। मैं चाहूँगा कि सरकार इस मामले में किसानों के पक्ष में हस्तक्षेप करे। पिछले साल बाद में दाम बढ़ा दिये गये थे और एरियर्स देने की बात थी, परन्तु वे एरियर्स अभी भी बकाया हैं और यह वचन दिया गया था कि अगली बार कृषिग शुरू होने से पहले उनको एरियर्स दिलवा दिया जाएगा। लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार की अनेक मिलों में कृषिग का काम शुरू करने की इजाजत दे दी गई है और एरियर्स नहीं चुकाये गये हैं। मैं चाहूँगा कि मंत्री महोदय इस मामले में किसानों की मदद करे।

[उपसभाध्यक्ष (श्री अरविन्द गणेश कुलकर्णी) पीठासीन हुए]

मैं यहाँ पर एक और बात का उल्लेख करना चाहूँगा कि राजस्थान में जो मिलों की शक्कर बिकने जाती है उस पर कृषि मंडी का टैक्स वसूल किया जाता है। आजकल मार्केटिंग सेंटर वहीं बन गया है। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बिकने के लिए जाता है मंडियों में तो उस पर कृषि उपज मंडी टैक्स ले लिया जाता है, यह बात मेरी समझ में नहीं आती है। लेकिन चीनी मिलों पर भी कृषि उपज मंडी टैक्स लगता है और यह एक प्रकार से 6 रु० एक बोरे पर पड़ जाता है। इसलिये मैं चाहूँगा कि मंत्रालय इस बात की चिन्ता करे और अगर राज्य सरकारों ने मिलों की चीनी पर भी कृषि उपज मंडी टैक्स लगा रखा है तो वह नावाजिब है और यह हटाया जाना चाहिए।

एक्सपोर्ट की आपने बात की है। आप करें। लेकिन ऐसी स्थिति पैदा नहीं

होनी चाहिए फिर से जिससे आर्टि-फिशियल स्केयरसिटी हो और जिसके फलस्वरूप कुछ दिन पहले चीनी 12 से 18 रु० के भाव पर कंज्यूमरों को मिलनी शुरू हो गयी थी। आप देखें कि इस तरह की परिस्थिति फिर पैदा न हो। आप कम से कम चीनी की स्मर्गलिंग को बंद करवायें। . . . . (समय का घन्टा) पिछली बार पाकिस्तान को आप के हरियाणा की चीनी गई थी और हरियाणा के मुख्य मंत्री का नाम इसमें बहुत जोर से चर्चित है। आप उसकी जांच करवाइये कि इस तरह की कोई चीनी पाकिस्तान को भेजी गई कि नहीं भेजी गई और अगर भेजी गई, तो उस पर क्या कार्रवाई हुई। अगर इस प्रकार की चीजें न होंगी तो फिर न चीनी के कंज्यूमर्स फायदे में रहेंगे और न चीनी के प्रोड्यूसर्स फायदे में रहेंगे। इन-एफिशियेंसी की सजा इन दोनों को भुगतनी पड़ेगी और हिन्दुस्तान में शुगर इंडस्ट्री में जो संकट खड़ा हुआ है उससे उसे मुक्ति पाना मुश्किल हो जायेगा। मैं चाहूँगा कि इन मिलों को तीन साल के लिए स्वयं चलाने के मामले को लेकर या इसी प्रकार की डिफाल्टर मिलों के टेक-ओवर करने के प्रश्न पर विचार करते समय इन सारी बातों का ध्यान मंत्रालय दे और फिर इस रकम के फर्दर इनवेस्टमेंट का जस्टिफिकेशन इसमें से पैदा होगा। धन्यवाद।

5 pm.

SHRI K. CHATHUNNI MASTER (Kerala); Mr. Vice-Chairman, Sir, this is a Very small piece of legislation relating to our sugar industries. I support this amending Bill as far as it goes. But, Sir, I am not having any illusion or hope that with this kind of an *ad hoc* legislation or many such *ad hoc* pieces of legislation we would be able to get over the present sugar crisis in the country which has been going on for quite some time. It is a

[Shri K. Chathunni Mastee]

recurring crisis and I am not going into the details of that.

Sir, the sugar industry in our country is in a vicious circle now. The first victim of this vicious circle is the sugarcane cultivator. He will get the most unremunerative price. Then, Sir, the second victim is our consumer and he will get sugar, either in the fair-price shops or in the open market, always at a higher price and sometimes at black market prices also. Even in the Capital of this country, that is, Delhi, the black market price of sugar was Rs. 20 per kg. So, this is a vicious circle and the sugar policy of the Government only benefits the sugar barons. They mint crores of rupees by exploiting the sugarcane cultivators and the consumers. Therefore, Sir, I take this opportunity to call upon the Government, especially the honourable Minister, to bring forward a more radical legislation and to have more radical measures to get over this crisis and to get out of this vicious! circle.

Sir, we are producing sugar more than what we require. The production is more than the internal requirement. The estimated internal requirement of sugar is from 50 to 55 lakh tonnes. But, Sir, in 1977-78, our country had produced 64.6 lakh tonnes of sugar and in 1978-79, 58.6 lakh tonnes of sugar. That means that our country is surplus in sugar. In that case, how has this vicious circle come now? How does it arise quite often? Sir, I strongly demand that the Government should nationalise all the big private sugar mills. Without nationalising the private sugar mills, we will not be able to tide over the sugar crisis. The crisis really means looting the sugarcane cultivators and looting the poor consumers. So, Sir, at least the big mills, the big private sugar mills, should be nationalised first and the cultivators of sugarcane should be assured of remunerative prices. Without nationalising the big private factories and without making the public sector enter the field of sugar production, you will not be able to ensure remunerative prices for the sugarcane cultivators.

At the same time, you cannot ensure supply of sugar to the consumers at a fair price. The industry is a very lucrative industry. Not only a sugar but its bye-products such as molasses and rectified spirit there is racketeering. Some people are minting money in such things. Such things are going on. (*Time bell rings*). We can use some of these bye-products for making some other things. This kind of radical measure, radical legislation, must be brought up without hesitation by the Government. Such piecemeal legislation cannot help us get over the sugar crisis which is facing our country.

श्री लाडली मोहन निगम (मध्य प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष महोदय, मुझे क्यादा कुछ इस पर कहना नहीं है; क्योंकि मुझे लगता है कि खाद्य मंत्री जी जरा कुछ खंडित दिमाग से मामले को लाये हैं। वरना मुझे तो ऐसा लगता है कि हिन्दुस्तान में शक्कर राजनीति के रूप में नहीं इस्तेमाल की जाती।

मैं इस बिल का तो समर्थन करता हूँ, लेकिन एक बात आपसे विनम्रता के साथ कहना चाहता हूँ कि हिन्दुस्तान का शक्कर को लेकर बहुत कुछ हो चुका है। राजनीति ने भी अपने हाथ गंदे किये हैं और व्यापारियों ने जैसे देश को लूटा है वह तो गलत चीज है। तो 2-3, मैं छोटे से सुझाव दे रहा हूँ और चाहता हूँ कि विनम्रता के साथ आप उन पर सोचें।

एक बात, शक्कर कारखाने के बारे में, इसको पूर्ण उद्योग बनाने के लिये आप तत्काल कोई कदम उठावें। पूर्ण, जब मैं कहता हूँ तो खेत से लेकर उसका जो अंतिम लक्ष्य है, उसकी जो बची हुई चीजें हैं, जो निकली हुई चीजें हैं, पदार्थ है उनका भी उपयोग हो और सब उसी में खप जायें, इससे है। मतलब मेरे कहने का है कि 3-4 शक्कर कारखानों के बीच में उनकी लुब्धी के लिये एक छोटा सा कारखाना

बनाया जा सकता है। किसी भी शक्कर कारखाने को अपना रा-मैटीरियल बेचने की इजाजत नहीं होनी चाहिये। सारे रा पर सरकार का कब्जा होना चाहिये ताकि आप अपने बचे समय में जो हमारे सामने ईंधन की समस्या है उसको हल कर सकें। तो मेरे कहने का मतलब थोड़े में था कि सारे शक्कर उद्योग को एजाईल उद्योग बनाने की योजना आप लायें और तो चाहूंगा कि इसमें बिल्कुल देरी नहीं होनी चाहिए।

दूसरी चीज यह है, आप तो किसान हैं, मैं नहीं हूँ, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि किसान को जब भी फसल उसके खेत में होती है उस वक्त तो उसको ज्यादा दाम देना पड़ता है लेकिन फसल जब कटती है तो हमेशा उसे कम मिलता है। इसको रोकने का आपके पास कोई इलाज नहीं है। यह हिन्दुस्तान का सबसे बड़ा उद्योग है, इसी उद्योग पर हिन्दुस्तान के असंख्य उद्योग आश्रित हैं। इसलिये अगर बुनियाद ही मर रही है तो उसकी जिम्मेदारी से आप कैसे बच सकते हैं।

इसलिये मैं कहना चाहूंगा गन्ने के बारे में एक नियम बना दिया जाय कि जिस भाव में शक्कर बिकेगी एक पेरार्ई से दूसरी पेरार्ई के बीच में जो दाम होगा उसका दशांश गन्ने की कीमत होगी। आप अपने नीति निर्धारण और दाम बांझने वाली कमेटीयों को कह सकते हो कि जब 10 मन गन्ने से एक मन शक्कर बन जाती है, 10 क्विंटल से एक क्विंटल बन जाती है तो उसका दाम जो है वह उतना तो मिलना चाहिये तथा उतनी ही मजदूरी और पेरार्ई बढ़ा दें तो वह दाम निर्धारित कर देना चाहिये। अतः मेरा आपसे निवेदन यह है कि किसान अगर एक मर्तबा आश्रित हो जाय तो यह जो आपको तकलीफ उठानी पड़ती है,

है, इनके बकाया के लिये जो कुछ आपको करना पड़ता है, वह भी नहीं होगा। मैं मानता हूँ कि आपका खंडित मन है, हो सकता है अब आपके ऊपर असर आ रहा हो। अब इस वक्त मेरी जुबान में इतनी ताकत नहीं है। हिन्दुस्तान में आपने आर्थिक सार्वभौमिकता किसी तरह से गिरवी कर दी है। वह तो मैं जब और बहस होगी तब करूंगा लेकिन मुझे लगता है कि अब आपका मन टूट चुका है, अब आप राष्ट्रीयकरण के लिये, किसी चीज के लिये, तैयार नहीं हैं क्योंकि अगर राष्ट्रीयकरण करने के लिये आप कहेंगे, तो तत्काल हो सकता है कि आपके विश्व सेठ, जिससे आप करीब साढ़े पांच हजार करोड़ लेने जा रहे हैं, वह कह दें कि यह नहीं कर सकते, व्यक्तिगत उद्योग को तुम हाथ नहीं लगा सकते।

आपने जिस तरह से अपने हाथ बंधाए हैं, उसको खैर छोड़िये, लेकिन इस मौजूदा माहौल में रहते हुए भी शक्कर के कारखानों को अनापशनाप मुनाफा, उसके साथ जुड़ी हुई राजनीति, उस पर तो आप अंकुश लगा सकते हो और किसान को उसका पैसा दिलवा सकते हो।

तो यह दो चीजें मैं आपसे कह रहा हूँ कि एक तो शक्कर के कारखाने के ऊपर आज जो अव्यवस्था है, जिसके चलते वे बीमार होते हैं (समय को घंटों) और यह बात याद रखिये कि जिस बीमारी में आप अपना पैसा लगाते हो, उसका तो आपको हक होना चाहिये, तीन बरस के लिये क्यों बैठें ?

मुझे खुशी होती कि इस बिल को लाते कि अब सरकार ने फसला किया है कि जिन-जिन कारखानों में सरकार पैसा फंसायेगी, वह ले लेगी। आईदा अगर कोई मालिक अपने कारखाने को बीमार बनायेगा, तो उसका कारखाना ही नहीं लेगी,



[श्री लाडली मोहन निगम]

उसकी पर-सम्पत्ति भी ले लेगी और उसकी पर-सम्पत्ति से किसान का उल्टा भुगतान करेगी। अब यह अगर आपके मन में होता तो साफ आपके लिये मैं कह सकता था कि बहुत बड़े बघाई के पात्र होते।

तो मेरे पास यही सुझाव है कि आइन्दा हिंदुस्तान में जो आज मौजूदा बीमार मिले हैं, वह और बीमार न होने पाएं और हमारे गले में फांसी न लटके। आप जो इतना पैसा लगाते हैं, उसमें ना लगाना पड़े। एक बहुत स्पष्ट नीति सरकार को घोषित करनी चाहिए और आइन्दा कोई कारखाना बीमार होता है तो वह कारखाना ही सरकार नहीं ले लेगी, बल्कि उस कारखाने की सारी सम्पत्तिकब्जें में कर लेगी।

श्री दूसरी चीज कि किसान को जो पैकजर के बीच की एक पेराई और दूसरी राई के बीच में उछल-कूद जो होती है, उसके आधार पर किसान को गन्ने का दामदिना जाएदा और तीसरे शक्कर से एकजई उद्योगज्ञान के लिये सरकार प्रस्तावित योजना बज्रमल में लाना शुरू करे और कारखानेदारों को मजबूर करें कि उनकी राय, उनकी छिराई जिसको क्या कहते हैं खोईमजर राय इन सब चीजों का उपयोगकर उसको अपने कारखाने बना ककेहोकरना पड़ेगा। और जैसे अध्यक्ष मदय यह से बोल रहे थे, उन्होंने कहा था और मैं बिल्कुल उनकी राय से सहमत हूं कि अगर तत्काल हिंदुस्तान की राय पर कब्जा नहीं किया गया और उसकी खुलेपाम छूट करने लगे, तो आपके हाथ तो गन्दे होंगे ही, उसके साथ देश की राजनीति गंदी होगी।

इस वास्ते, बहुत मजबूत मन से आइये।

मैं आपके इस बिल का समर्थन करता हूं और आपसे चाहता हूं कि इस सत्र में नहीं हो, तो अगले सत्र में लाइये और हम सब इसका स्वागत करेंगे।

RAO BIRENDRA SINGH; Sir, I am very happy that this Amending Bill has received full support from all hon. Members of the House.

SHRI SHIVA CHANDRA JHA: Conditional support.

RAO BIRENDRA SINGH: I am glad that the industrial sugar lobby has not been able to enter this House and the hon. Members, as they have always been thinking in terms of in terms of benefiting the sugarcane growers, have once again proved that they are for the sugarcane grower and want full benefits of processing of sugarcane to be shared by the farmers. The fact that we have now decided to keep all these takeover mills for an other three years proves that we have taken into consideration the sentiments of the hon. Members expressed in this House from time to time. We agree with the hon. Members that, in future, the mills should not be allowed to go sick in the first instance and if they go sick or they are made sick, the mill-owners should pay for the malady which occurs on account of their mismanagement or their dishonesty. The Government and the Public Treasury should not have to pay for the ills for which the industrialists are responsible. Sir, while you were speaking as the hon. Member. Mr. Kulkarni, you raised certain very important issues. Molasses, as you know, and the production and control of alcohol and spirits are not under the Ministry of Agriculture. But I am conscious of the fact that very large profits are reaped by the sugar mills with molasses being utilised by them for various purposes—production of spirits or sale at a price which is not actually reflected in their accounts. We shall see what can be done in **this** matter. I shall talk **about this matter**

to my esteemed colleague who is in charge of this subject.

Sir, you have very well appreciated the progress made by the co-operatives in Maharashtra. Maharashtra has given the lead to the country in the matter of sugar production in the co-operative sector. Very large number of applications are still pending. Recently we have granted ten new licences for cooperatives and it was only on account of the success achieved by Maharashtra in co-operatives that now we have formulated a policy that co-operatives will be given preference for sugar mill licences wherever they want to come forward for setting up sugar factories. There might be certain instances of politicalisation in certain co-operative societies. But politics, as you know, Sir, we are all politicians and we only have to try and keep politics out of the mills. But much depends upon personalities and individuals who lead the farmers in their respective areas and who promote the mills. I only expect that those who are not working fully under co-operative spirit will try to improve matters wherever it falls under their jurisdiction.

Sir, I have taken full note of your observations. The matter of zones has been raised several times by Maharashtra, Gujarat, Bihar, Uttar Pradesh and other States. We have considered the matter but we have not been able to come to any conclusions yet. We do not want to re-open the matter unless we are satisfied that the benefits will really accrue to farmers by creating more zones. It is a very complex problem and it will take some time for the Government to take a decision. Sir, you have talked about the buffer stocks. As, perhaps, you know, Sir, while we took certain decisions to give incentives to the mills for this year for early crushing, for late crushing, we also decided that to enable the mills to pay remunerative prices to the farmers for their sugar cane, we shall also see to it that the sugar price in the free market—35 per cent share for the free-Bale—does not fall too low, and for that

purpose we have decided to create a buffer stock of sugar. We shall purchase sugar in the market if we see that the mills are going to run into losses. That will give an assurance to the factories.

Mr. Narsingh Narain Pandey raised a few other points. Every one of the hon. Members who have spoken has expressed, while supporting this Bill, a wish that this should have been nationalised rather than the period of takeover extended by another three years. This period has been extended for the time being to three years. But this does not mean that we shall not further think of other measures. We shall see whether we can recover our money within this period, whether we can restore all these sick mills to full health. And if necessary we shall think of other measures later on. Some hon. Members, like my friend, Mr. Master, have as usual accused the Government of being soft towards the industry. If that were the case, we would have returned these mills, since these three years are now soon going to expire. We would not have then hurried through this Bill and requested you, Sir, to see that this Bill was passed today before the House adjourned. This is proof enough that the Government is very keen that the sick mills should be retained by the Government till such time as the Government is convinced that these mills will not go sick again and the cane arrears will be fully paid to the farmers and the money that has been invested by the Government in repair, maintenance of these mills, payment of arrears of staff and cane growers, which have come out of the Government treasury, are all received back. The position about the arrears, the hon. Members will be glad to know, has improved considerably, with our efforts. In the year 1977-78, the arrears on 1st October were Rs. 53 crores, that was 6.7 per cent of the total cane price.

SHRI SUNDER SINGH BHANDARI:  
Is this for the total industry?

RAO BIRENDRA SINGH: Yes, about the total industry, about the taken



[Rao Birendra Singh] over mills also. On 1st October 1979, it was Rs. 21.15 crores, that was 3.12 per cent. But on 1.10.1981, the arrears are only 1.5 per cent, that has to be paid to the cane growers by the entire industry.

SHRI SUNDER SINGH BHANDARI: Do not give the percentage. Give the figure in crores.

RAO BIRENDRA SINGH: Rs. 17.12 crores for this season and for the year 1980-81 season.

SHRI SHIVA CHANDRA JHA: For Bihar also.

RAO BIRENDRA SINGH: For the 1980-81 season the total was Rs. 45.14 crores out of it Rs. 44.93 crores have been paid and the arrears are only around Rs. 21 lakhs. With regard to the taken over mills, Sir, from 1978 to 1981 the arrears stood at Rs. 38.53 crores.

SHRI SUNDER SINGH BHANDARI: Is it for three years?

RAO BIRENDRA SINGH: Yes, for three years and the Government has paid Rs. 38.02 crores out of that, with the result that the balance is now only Rs. 51 lakhs and that is also mainly due to some court cases and some disputes pending. I hope the hon. Members will appreciate that the Government has done all that they wanted to be done to clear the arrears.

श्री शिव चन्द्र झा : बिहार में कितना एरियर बाकी है ?

राजबिरेन्द्र सिंह : बिहार की बात क्यों पूछते हैं। बहुत बड़ी चीज है बिहार, बिहार बड़ा प्रान्त है। आप चाहेंगे तो मैं बता दूंगा।

श्री शिव चन्द्र झा : बता दीजिये।

राजबिरेन्द्र सिंह : फिर बता दूंगा आप को।

Sir, Mr. Pandey raised the question of creation of a cadre of officers. I admit that we do not have a cadre of officers. We have had some difficulty in updating, custodians for these taken

over mills because this was a temporary measure and we were not able to create a cadre of sufficient number of officers for the purpose. But wherever we received complaints of malpractices, we have taken action. Inquiries have been held and some officers have been punished also. Hon. Members will be glad to know that amongst the other measures now there was mention about the Government's responsibility to see that other mills did not get sick.

For that purpose, we have now decided to impose a cess of Rs. 5 per quintal on sugar so that we get about Rs. 25-30 crores in a year and all this will be used for development of sugar cane as was suggested by Mr. Pandey and others, and for research and other purposes and also for financing loans to mills to prevent them from going sick.

Shri Jha raised the question of nationalisation; that has been explained. For the time being, our intention is only to see that these mills are not resptored to the owners and the Government keeps control over them for at least 3 years more. The 3-year period provided in the Bill, to my mind, was too short a period. As the hon. Members themselves know, mills do not go sick; they are made sick.

Shri Mathur very rightly said that excess profits should be ploughed back into the mill. But the owners of the mills allow the mill to go sick so that Government takes it over. And perhaps, these owners were hoping that the Government will put them back to health and return to them in sound health and wait for the investment to be recovered. I do not know how it would have been possible, because so far, there is no provision in the Bill for recovery in any effective manner.

Shri Bhandari wanted details about the mills which have gone into operation. One has already started working out of these 8 taken over. Others are also going to start working within a few days.

SHRI SUNDER SINGH BHANDARI: It is in which area?

Aircraft

RAO BIRENDRA SINGH: This is Jijamata in Maharashtra, that has started working. In U.P., none of them has started working we have passed orders already; to put it frankly, we were waiting for this Bill to come before Parliament.

SHRI SUNDER SINGH BHANDARI: Bat your 3-year period is not yet over. Why wait for this Bill?

RAO BIRENDRA SINGH: You know that the Government has to invest more money and we were not sure that our money, about Rs. 14 crores, as has been stated in the Statement of Objects and Reasons will be recovered. Out of Rs. 14 crores, Rs. 4 crores have been recovered and the remaining is still outstanding. And we wanted to be sure. After all, Cabinet has to take a decision; and then we had to prepare it and bring it up before Parliament. But it is not too late yet; season has just started. We shall see that it starts very soon. We are also keen about it.

I don't think any more points are left. I am thankful to hon. Members that they have so speedily passed this Bill, although time allotted was 3 hours. And now I would request you, after this Bill is passed by this hon. House, to send a report immediately to the Lok Sabha so that this Bill can be taken up tomorrow and it is reported today. Thank you.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ARVIND GANESH KULKARNI): The question is:

"That the Bill further to amend the Sugar Undertakings (Taking Over of Management) Act, 1978, be taken into consideration."

*The motion was adopted.*

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ARVIND GANESH KULKARNI): We shall now take up clause-by-clause consideration of the Bill.

*Clause 2 was added to the Bill.*

*Clause 1, The Enacting Formula and the Title were added to the Bill.*

RAO BIRENDRA SINGH: Sir, beg to move:

"That the Bill be passed."

*The question was put and the motion was adopted.*

## STATEMENT BY MINISTER—

### **Hijacking of Air India's aircraft on November 26, 1981**

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (SHRI CHANDULAL CHANDRAKAR): Sir, Air India Boeing 707 flight No. 224 on a scheduled service from Salisbury and Seychelles to Bombay, landed at Seychelles Airport last night (local time). It would appear that some persons who formed part of a group which has landed in Seychelles a few hours earlier by an Air Swazi service aircraft and had taken control of the airport, forcibly occupied the Air India aircraft and compelled the pilot to take off for Durban in South Africa. Subsequent information received indicated that the aircraft landed in Durban at 8.50 AM IST today. Capt. Sexena, 13 other crew members and 65 passengers were on board besides the hijackers. The aircraft was parked at the end of runway in Durban airport and the local Civil Aviation and Security authorities had mounted necessary security arrangements.

As a result of the intervention of the Government of South Africa, and as a result of tactful handling of the situation, all the passengers on the hijacked Air India plane could be taken out of the aircraft safely and steps are being taken to fly them to Johannesburg. In the course of the day. It is understood that arrangements are being made by the South African Government to send them to Bombay through the first available flight connection. The crew of the plane are also safe and are being lodged in the city of Durban until repairs to the aircraft which sustained some damage while taking off from Seychelles are completed. The South African